संख्या-32/2021/2235/96-आयुष-1-2021-214/2018टी0सी0

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 22 जुलाई, 2021**

विषय- महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-18/347/2021-22/योजना; दिनांक 25.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्तावित लागत धनराशि रू0-480.19 लाख (रूपये चार करोड अस्सी लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-240.095 लाख (रूपये दो करोड चालीस लाख नौ हजार पांच सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

1. निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
3. निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं कार्यदायी संस्था की होगी।
4. निदेशक, आयुर्वेद सेवायें यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवायें का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
6. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है , उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
7. निदेशक, आयुर्वेद सेवायें यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है तथा आयुष विश्वविद्यालय के प्रस्तावित मूल आगणन में यह कार्य सम्मिलित नहीं है।
8. निर्विवाद भूमि की उपलब्धता एवं उसके उपयुक्त होने से निदेशक, आयुर्वेद सेवायें स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित हो लेंगे कि मौके पर भूमि अथवा निर्माण कार्य की प्रकृति में परिवर्तन होने की स्थिति में आगणन मूल/लागत में वृद्धि नहीं की जाएगी।
10. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
11. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज दिया जायेगा।
12. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें 800-अन्य व्यय 08-आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-3-470/दस-2021-2022, दिनांक 22.07.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-32/2021/2235(1)/96-आयुष-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) जिलाधिकारी, गोरखपुर (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(5) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(6) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(8) सम्बनिधत अधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(9) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10)गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in